न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 17/2023
GCMS NO. : 2023/7

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. अभिमन्यु पंवार पुत्र सुगनचन्द पंवार जाति ढोली, निवासी गिरी, तहसील रायपुर जिला पाली।		1. गीता पुत्री दीपाराम 2. डालकी पत्नी बच्चुराम 3. दुर्गा पुत्री बच्चुराम के का.मु. 3/1. श्रीपाल पुत्र घनश्याम 3/2. सुभाष पुत्र घनश्याम 3/3. रेना पुत्री घनश्याम 3/4. ममता पुत्री घनश्याम 4. धोकलराम पुत्र मुल्तान 5. नोरती पुत्री दीपाराम 6. पंखाराम पुत्र मुलतान 7. पानकी पत्नी दीपाराम 8. बाबुलाल पुत्र मुलतान 9. लीला पुत्री दीपाराम 10. संजय पुत्र दीपाराम 11. संतोष पुत्र दीपाराम जाति चौकिदार, निवासी निमाज तहसील जैतारण, जिला पाली। 12. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/01/2023

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/04/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज तहसील जैतारण, जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 933 खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.7563 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस पेश है। उक्त कृषि भूमि वादी का 2/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व माफिक हिस्सेनुसार मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

पर काबिज होकर काश्त करता है। वादी के 2/7 हिस्से की भूमि पर मौके पर पट्टिया रोपकर, तारबन्दी भी कर रखी है। प्रतिवादीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार है। वाद में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.7563 हेक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में शामलाती खातेदारी में इन्द्राज है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। शामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादी अपने हक, हिस्से की भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद, बीज के लिये बैंक से ऋण लेने व किसान कार्ड बनवाने तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु अर्थात् वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लेने में परेशानी होती है। वादी ने शामलाती खातेदारी की भूमि को बंटवाड़ा हेतु दिनांक 12.01.2023 को प्रतिवादीगण को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए, व वादीगण को उनके हक, हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल करने व शामलाती खातेदारी की भूमि को प्रतिवादीगण ने बैचान, हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी दी तब वादीगण ने वाद बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध बंटवाड़ा का वाद पेश किया इसलिये तहसीलदार, जैतारण बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है तथा उक्त भूमि के खातेदार दुर्गा पुत्री बच्चुराम की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 12.01.2023 को वादी ने प्रतिवादीगण को वाद में वर्णित भूमि के बंटवाड़ा बाबत कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए व वादी को उसके हक हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल करने व शामलाती खातेदारी की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 11 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी अभिमन्यू पंवार पुत्र सुगनचंद का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध करवाए गए। वादी द्वारा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये, जो शा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम सम्वत् 2073-2076 (प्रदर्श-1) का अवलोकन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सों के खातेदार काश्तकार है। वादी ने वादग्रस्त आराजी का माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में हम सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील-जैतारण में खाता संख्या 933 खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक राजस्व रिकार्ड बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली).

–:: आदेश::–

अतः माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील–जैतारण में खाता संख्या 933 खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका वादी के हक हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी को पाबंद किया जाता हैं कि मौके पर उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर शा0मि0 हो। तहसीलदार जैतारण को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/04/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुकामः- जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-:: **वादी** ::- **बनाम** -:: प्रतिवादीगण ::-

1. अभिमन्यु पंवार पुत्र सुगनचन्द पंवार
जाति ढ़ोली, निवासी गिरी,
तहसील रायपुर जिला पाली।

1. गीता पुत्री दीपाराम
2. डालकी पत्नी बच्चुराम
3. दुर्गा पुत्री बच्चुराम के का.मु.
   3/1. श्रीपाल पुत्र घनश्याम
   3/2. सुभाष पुत्र घनश्याम
   3/3. रेना पुत्री घनश्याम
   3/4. ममता पुत्री घनश्याम
4. धोकलराम पुत्र मुल्तान
5. नोरती पुत्री दीपाराम
6. पंखाराम पुत्र मुलतान
7. पानकी पत्नी दीपाराम
8. बाबुलाल पुत्र मुलतान
9. लीला पुत्री दीपाराम
10. संजय पुत्र दीपाराम
11. संतोष पुत्र दीपाराम
    जाति चौकिदार, निवासी निमाज
    तहसील जैतारण, जिला पाली।
12. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी
    राजस्थान सरकार

मु0न0 :रा0वा0स0: 17/2023

राजस्व वाद बाबत् **बंट्वाडा एवं** स्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-.......व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील-जैतारण में खाता संख्या 933 खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका वादी के हक हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग किया जावे तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी को पाबंद किया जाता हैं कि मौके पर उपस्थित रहे। वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें। तहसीलदार, जैतारण को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/04/2023 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested